तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/05/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उप० विपक्षीगण को जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/05/24 को पेश हो।
24/05/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उप० विपक्षीगण को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 07/06/24 को पेश हो।
7/6/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 19/6/24 को पेश हो।
19/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को जवाब के अनेक अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया अतः उनका जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः नेकमंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 18/2019 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

आसू बनाम अमृतलाल वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री नरेश भादू

निर्णय

दिनांक – 19/08/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 167 रकबा 29.08 बीघा व खसरा संख्या 185 रकबा 52.02 बीघा किस्म बा.सोयम** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सीमा को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 167 रकबा 29.08 बीघा व खसरा संख्या 185 रकबा 52.02 बीघा किस्म बा.सोयम** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जो काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/08/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. आसू पुत्र लखा उर्फ लखिया फौत के कायम मुकाम 1. भीयाराम पुत्र आसूराम 2. मूलाराम पुत्र आसूराम 3. हाजाराम पुत्र आसूराम जाति मेगवाल, निवासी बाखासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1. अमृतलाल पुत्र मोहनलाल 2. सुरेश पुत्र मोहनलाल जाति मेगवाल 3. महादेव पुत्र केसरा 4. छगन पुत्र केसरा जाति रबारी 5. कानुसिंह पुत्र बिशनसिंह फौत के कायम 1. सवाईसिंह पुत्र कानुसिंह 6. रुगनाथसिंह पुत्र पीरसिंह फौत के कायम मुकाम 1. जयसिंह पुत्र रुगनाथसिंह 2. जालमसिंह पुत्र रुगनाथसिंह 3. तनसिंह पुत्र रुगनाथसिंह 4. मनवरसिंह पुत्र रुगनाथसिंह 7. नरपतसिंह पुत्र पीर 8. चन्दाराम पुत्र कलाराम फौत के कायम 1. भीखाराम पुत्र चन्दाराम 9. गुमनाराम पुत्र हमीराराम फौत के कायम 1. वसाराम पुत्र गुमनाराम 2. भलाराम पुत्र गुमनाराम 3. निम्बाराम पुत्र गुमनाराम 10. तगाराम पुत्र हमीराराम फौत के कायम 1. पुनमाराम पुत्र तगाराम 2. केसाराम पुत्र तगाराम जाति मेगवाल निवासी बाखासर, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 18/2019 — दिनांक : 19/06/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू. अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 167 रकबा 29.08 बीघा व खसरा संख्या 185 रकबा 52.02 बीघा किस्म बा.सोयम** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

-Sd-
(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
दिनांक 28/06/2024

क्रमांक/मु.अ./2024/2230-33
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-
1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी आसू पुत्र लखा उर्फ लखिया फौत के कायम मुकाम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण अमृतलाल पुत्र मोहनलाल वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा